पत्रांक– 1(यो0) व 9–03/2017......336......

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग।

सेवा में

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–30/01/2026

औपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत बिहार दिवस 2026 के आयोजन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा अधियाचित ₹13.74 करोड़ (तेरह करोड़ चौहत्तर लाख रूपये) के विरूद्ध उपलब्ध उद्व्यय/उपबंध के आलोक में ₹13.74 करोड़ (तेरह करोड़ चौहत्तर लाख रूपये) मात्र की अग्रिम राशि की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति की स्वीकृति।

द्वाराः– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत बिहार दिवस 2026 के आयोजन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा अधियाचित ₹13.74 करोड़ (तेरह करोड़ चौहत्तर लाख रूपये) के विरूद्ध उपलब्ध उद्व्यय/उपबंध के आलोक में ₹13.74 करोड़ (तेरह करोड़ चौहत्तर लाख रूपये) मात्र की अग्रिम राशि की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार दिवस 2026 का आयोजन दिनांक 22, से 24 मार्च 2026 (तीन दिन) गाँधी मैदान, पटना, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, प्रेमचंद रंगशाला, रविन्द्र भवन आदि में किया जाना है। जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक धरोहरों का विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शित कर बिहार के गौरव को स्थापित करना एवं बिहारी अस्मिता को बढ़ावा देना है। अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक–5997 दिनांक 29.12.2025 के आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना को बिहार दिवस 2026 के आयोजन हेतु नोडल संस्थान नामित किया गया है।

3. (क) वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रस्तावित राशि के व्यय का विकलन, मॉग संख्या–21 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01–प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0105–शैक्षणिक सेमिनार, कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव, विपत्र कोड–21–2202010010105, विषय शीर्ष–0105.28.04–व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ के अन्तर्गत होगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना हेतु मूल उद्व्यय ₹12.00 करोड़ (बारह करोड़ रूपये) एवं द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उद्व्यय ₹25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़ रूपये) अर्थात् कुल राशि ₹37.00 करोड़ (सैंतीस करोड़ रूपये) का उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना हेतु ₹37.00 करोड़ (सैंतीस करोड़ रूपये) का उद्व्यय एवं उपबंध उपलब्ध है। मशाल 2025 के आयोजन हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या–42 दिनांक 22.05.2025 द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को व्यय किये जाने हेतु ₹12.00 करोड़ (बारह करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार उक्त योजना में ₹25.00 करोड़ (पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र का उद्व्यय एवं उपबंध अवशेष है।

4. (क) स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार पटना द्वारा, उक्त अग्रिम राशि की निकासी फॉर्म BTC-26 में विपत्र तैयार कर, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना से निकासी कर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना को निम्नांकित बैंक खाता में CFMS Mode द्वारा NEFT/RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

Bank name	Branch	A/C No.	A/C Name	IFSC Code
Indian Overseas Bank	Shiksha Bhawan	245001000002260	BEP- Bihar Diwas	IOBA0002450

(ख) राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना के द्वारा कार्य योजना के अनुरूप राशि का व्यय किया जायेगा एवं वास्तविक व्यय की गयी राशि के विरूद्ध डी०सी० विपत्र फॉर्म **BTC-27 A** तथा संबंधित अभिश्रव निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को दो माह के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि राशि का समायोजन कराया जा सकें।

(ग) सम्पूर्ण आयोजन का अनुश्रवण अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा किया जायेगा। राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् , पटना अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ही राशि का व्यय करेंगे।

(घ) राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

5. वित विभाग के पत्रांक–7355/वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6. राशि के निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभागीय अनुदेशों आदि के आलोक में की जाएगी।
7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के कंडिका–3 एवं कंडिका–5 ख (ii) के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
8. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 1(यो0) व 9–03/2017 के पृष्ठ सं0–130/टि0 पर दिनांक 22.01.26 को प्राप्त है।
9. स्वीकृत्यादेश पर अग्रिम की निकासी हेतु अपर मुख्य सचिव की सहमति संचिका संख्या–1(यो0) व 9–03/2017 के पृष्ठ सं0–127/टि0 पर दिनांक 20.01.26 को प्राप्त है।
10. स्वीकृत्यादेश पर अग्रिम की निकासी हेतु विभागीय मंत्री की अनुमोदन संचिका संख्या–1(यो0) व 9–03/2017 के पृष्ठ सं0–127/टि0 पर दिनांक 21.01.26 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)

सरकार के उप सचिव,

ज्ञापांकः– 1 (यो0) व 9–03/2017 336 पटना, दिनांक 30/01/2026

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना/निदेशक, प्रा0 शि0/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/उप सचिव, शिक्षा विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा/आय–व्ययक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–05 एवं लेखापाल/विपत्र लिपिक (दो प्रतियों में) एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।